

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:- 4220 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 03 जनवरी, 2026।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट।

- विषय:-** जनपद पिथौरागढ़ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट से पैय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 4.335 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रस्थावर्तन प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।
- संदर्भ :-** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक संख्या 8बी0/यू0सी0सी0/06/20/2020/एफ0सी0 दिनांक 28.03.2025 व आपका पत्रांक 1885 /13सी0 दिनांक 12-12-2025।

उपरोक्त भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयक मोटर मार्ग प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, जिसकी शर्त संख्या क-2, ख-3 व ख-19 के क्रम में निर्धारित धनराशि जमा की जानी है। शर्त सं0 क-2 व ख-3 के क्रम में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा किये जाने योग्य कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वनीकरण	8.67 हे0	543,037/ हे0	47,08,130.79 या 47,08,131.00
2	एन0पी0वी0	4.335 हे0	10,05,210/ हे0 (ईको क्लास-v, घनत्व 0.2)	43,57,585.35 या 43,57,585.00

उक्त के अतिरिक्त शर्त सं0 ख-19 के क्रम में वाईल्ड लाईफ मैनेजमेंट प्लान एवं एस0एम0सी0 प्लान तैयार किया जा रहा है, जो कि उच्च स्तर से सत्यापित होने पश्चात निर्धारित धनराशि आपके स्तर से जमा की जानी होगी, जिसका डिमान्ड नोट पृथक से प्रेषित किया जाएगा।

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड करें। नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट के सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।